

फर्द अहकाम

(नियम 13)

B.C.M.S
2020/00006
28.10.2020

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. केलाशम

हलका निंबलकोट

पुत्र श्री. रामराम जाति. जाट

निवासी सिंगारे की टाठा - चक 1

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 06/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
10-7-2020	<p>पटवारी हलका निंबलकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा निंबलकोट के खसरा नंबर 177 रकबा 21000 वर्ग फी. किस्म भूमि. 3/मु. 3/सोर पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	
29-7-2020	<p>पत्रावली माफ पेश हुई। गैर सायल व पटवारी हक, इफाफिली गैर सायल ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। गैर सायल के एक और भवतर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर</p>	<p>कुमारम</p> <p style="text-align: center;">P</p> <p>प. निंबलकोट</p>

13-8-2020


पत्रावली भाण पेश हुई। गैर साफल
अनुपास्थिते। पटवारी हल्का अनुपास्थिते।
पत्रावली दिनांक 26-8-2020 को पेश है।


तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

26-8-2020

पत्रावली भाण पेश हुई। गैर साफल
अनुपास्थिते। पटवारी हल्का उपास्थिते।
गैर साफल के अतिरिक्त चेषित
करते हुए, पत्रावली फेलन सुगार
है। निर्धार्य अलग से लिखा जाकर
शासिक पत्रावली है। निर्धार्य खुले
अध्यात्म के सुनाम जाण पत्रावली
फेलन सुगार होकर दखिल इफार है।


तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर


प. निम्बलगेर